न्यायालय तहसीलदार सहाड़ा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाड़ा

प्र0स0– 9/16

पीठासीन अधिकारी
छगनलाल रेगर
(आर0टी0एस)

अनवान

1–श्री रामदयाल पिता लालुराम काबरा निवासी सरगांव तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा–

(प्रार्थी)

बनाम

1–श्री सोहनलाल पिता लालुराम काबरा व अन्य नि0 सरगांव तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा–

(अप्रार्थीगण)

निर्णय अन्तर्गत राज0 भू राजस्व (भू0अभिलेख) नियम 1957 के नियम 135(2) (अपंजीकृत वसीयत पत्र)

अधिवक्ता–

श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
श्री छीतरमल सिशोदिया
श्री ललीत सुराणा

निर्णय दिनाकं–18.05.2018

प्रकरण में सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री रामदयाल पिता लालुराम काबरा नि0 सरगांव द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के भाई जमनालाल पिता लालुराम काबरा के नाम ग्राम सरगांव के राजस्व रेकार्ड़ में कृषि भूमियां अंकित है, इसकी मृत्यु दिनाकं 09.12.2011 को हो चुकी है इसके जायन्दा पुत्र–पुत्री नही है व इनकी पत्नि की इसके पूर्व ही मृत्यु हो चुकी है। मृतक जमनालाल जी ने मैंरे पक्ष में एक वसीयत दिनाकं 04.02.2011 को निष्पादित की जिस से प्रार्थी एक मात्र उत्तराधिकारी होकर उक्त वसीयत अनुसार नामान्तरकरण प्रार्थी के पक्ष में खोले जाने बाबत दिनाकं 07.02.13 को प्रशासन गांवो के सगं अभियान में मुझ प्रार्थी ने आवेदन किया जिस पर शिविर प्रभारी को ग्राम पंचायत द्वारा बताया की पत्रावली ग्राम पंचायत में विचाराधीन है शिविर प्रभारी जी ने प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही बाबत पंचायत को निर्देश दिये गये, ग्राम पंचायत द्वारा इतना समय गुजर जाने के बावजूद भी उक्त पत्रावली में अब तक कोई निर्णय पारित नही किया गया जिससे नियमानुसार उक्त पत्रावली न्यायालय में तलब करा निर्णित करवा उक्त वसीयत अनुसार नामान्तकरण मुझ प्रार्थी के पक्ष में निर्णित कराने की स्वीकृति फरमावे, दिनाकं 15.03.12 को गवाहान जो वसीयत के साक्षी है व मुझ प्रार्थी के बयान ग्राम पंचायत सरगांव द्वारा रिकार्ड़ किये जाने के बाद भी कोई अग्रीम कार्यवाही नही की गई जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत सरगांव उक्त पत्रावली में कोई कार्यवाही नही करना चाहती है। अतः निवेदन है कि ग्राम पंचायत सरगांव से उक्त अनवानी पत्रावली तलब किये जाने का आदेश प्रदान करा निर्णित फरमावे। प्रमाण में अपंजीकृत वसीयत पत्र व मृत्यु प्रमाण पत्र तथा ग्राम पंचायत सरगांव में विचाराधीन पत्रावली की छायाप्रति प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

प्रार्थना पत्र अनुसार प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पटवारी हल्का सरगांव से मृतक जमना लाल पिता लालुराम काबरा नि0 सरगांव के वारिसान की जाचं करा रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसकी रिपोर्ट अनुसार मृतक जमनालाल कि मृत्यु दिनाकं 09.12.2011 को हुई है तथा मृतक जमनालाल के कोई जायदां पुत्र–पुत्री नही है एवं पत्नी ककूं देवी की पूर्व में दिनाकं 17.10.2011 को मृत्यु हो गई है। मृतक जमनालाल के चार भाई हरकलाल, सोहनलाल, रामदयाल व रामगोपाल है जिसमें से रामगोपाल का अन्यत्र गोद जाना जाहिर हुआ है तथा चार बहिने सीताबाई, जशोदाबाई, नाराणबाई व कंचन बाई है जिसमें से नाराणबाई व कचंनबाई की मृत्यु होना जाहिर हुआ है। मृतक जमनालाल के नाम दर्ज कृषि भूमियां जो स्व अर्जित नही है। पटवारी सरगांव द्वारा जाचं रिपोर्ट, मौका पर्चा व नकल जमाबन्दी संवत 2071–74 की प्रतियां प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली किये जाकर मृतक के भाई व बहिनो को नोटिस जारी किये गये जो बाद तामली प्राप्त होकर शामिल पत्रावली किये गये।

लगातार

तहसीलदार सहाड़ा
मु0 गंगापुर

प्रार्थी रामदयाल की और से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, विपक्षी सोहनलाल की और से अधिवक्ता श्री छीतरमल सिसोदिया द्वारा व अन्य अन्य विपक्षीगण हरकलाल, सीतादेवी, जसोदा देवी की और से अधिवक्ता श्री ललित सुराणा द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षी हरकलाल, सीतादेवी, जशोदा देवी पिता लालुराम काबरा नि0 सरगांव द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हमारे पिता लालुराम जी के पाचं पुत्र व दो पुत्रीया है जिसमें से हमारे भाई रामगोपाल जी 50 वर्ष पूर्व ग्राम कुरज में गोद चले गये हमारे पिता की मृत्यु के बाद ग्राम सरगांव में स्थित जायदाद हम चार भाई जमनालाल हरकलाल, सोहनलाल व रामदयाल के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित हो गई, हम बहिनो द्वारा कोई हिस्सा नही लिया न हमने अधिकार जताया है, वक्त पेमाईश चारो भाईयो ने प्राप्त जायदाद का सहमति से बटंवाड़ा कर बटंवाड़ा शुदा जायदाद पर अलग–अलग काबिज हो काश्त कर रहै है। जमनालाल जी के कोई जयन्दा औलाद नही हुई व न ही उन्होने किसी को गौद रखा जमना लाल जी की मृत्यु दिनाकं 09.02.2011 को हो गई जमनालाल जी की सेवा सुश्रुषा व समस्त कियाकम हमारे भाई रामदयाल जी ने ही की, जमनालाल जी ने उनकी मृत्यु से पूर्व दिनाकं 04.02.2011 को वसीयत रामदयाल जी के नाम निष्पादित की जिसकी जानकारी हम लोगो को उनका हाल चाल जानने व मिलने आये जो हमे दिनाकं 05.02.2011 को जमनालाल जी ने दी और कहा की मैरा हाथ धुजने (कम्पन्न) से वसीयत पर हस्ताक्षर न कर अगुंठा निशानी लगाई है। स्व0 जमनालाल जी की जायदाद में हमारा कोई हक निहित नही है। अतः जमनालाल जी की ग्राम सरगावं स्थित जायदाद को रामदयाल जी के नाम किये जाने से हमे कोई आपत्ति नही है। उक्त जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

विपक्षी श्री सोहनलाल काबरा द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हमारे पिता लालुराम जी काबरा के पाचं पुत्र व चार पुत्रीया थी जिसमें से एक भाई गोद चला गया व दो पुत्रीया नाराणी बाई व कचंनबाई की मृत्यु जमनालाल जी की मृत्यु से पूर्व ही हो चुकी थी। जमनालाल जी व मृत्यु दिनाकं 09.12.2011 को हो चुकी है तथा इनकी पत्नि ककुं देवी की मृत्यु दिनाकं 17.10.2011 को हो चुकी है। स्व0 जमनालाल जी के कोई जायन्दा पुत्र–पुत्री नही है, इन्होने अपने जीवनकाल में किसी को गोद नही लिया था। अर्थात श्री जमनालाल जी के हिन्दु उत्ताधिकार अधिनियम के अन्तर्गत बनी अनुसूची वर्ग 1 में अंकित कोई भी उत्तराधिकारी जिवित नही होने से अनुसूची वर्ग 2 में अंकित कम 1 में अंकित उत्तराधिकारी को जायेगी, यदि कम 1 में अंकित उत्तराधिकारी नही होने पर कम 2 के उत्तराधिकारियो को समान रूप से मिलेगी यही सिद्वान्त आगे के कम पर भी लागू होता है। स्व0 जमनालाल जी शिक्षित होकर पढना–लिखना जानते थे, व्यापार करते थे इन्होने अपने जीवनकाल में हमेशा ही अपने हस्ताक्षर किये है, जमनालाल जी मानसिक रूप से स्वस्थ थे, उन्होने कभी भी अपने हस्ताक्षर की जगह अगुंठा निशानी नही लगाई है। जमनालाल जी की मृत्यु के करीब एक माह पूर्व से मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गये, उनकी सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल समाप्त हो गई, उन्होने अपने जीवनकाल में किसी के पक्ष में कोई वसीयत निष्पादित नही की है। और न ही उन्होने उस पर अपनी कोई अगुंठा निशानी लगाई है। जमनालाल जी की मृत्यु पश्चात उनकी सम्पत्ति मैंरा छोटा भाई रामदयाल अकेले ही हड़पना चाहता है इस लालच से वशीभूत होकर रामदयाल ने अपने मिलने वालो से मिलकर फर्जी वसीयत जमनालाल जी की मृत्यु के पश्चात जमनालाल जी के नाम की तैयार करवा फर्जी निशानी करवाई है, इस फर्जी वसीयत से रामदयाल हो जमनालाल जी की सम्पत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। जमनालाल जी की सेवा हम सभी भाईयो ने की है व उनकी मृत्यु उपरान्त सारा कियाकम हम सभी ने मिलकर किया है, अतः मृतक जमनालाल जी की विरासत का नामान्तरकरण हम तीन भाई सोहनलाल, हरकलाल, रामदयाल व बहिने सीताबाई व जशोदा बाई के नाम पर समान हक से खोला जाकर निर्णित कराया जावे। नामान्तरकरण कार्यवाही सक्षिप्त प्रकिया होकर विरासत का नामान्तरकरण उत्तराधिकारियो के नाम पर ही खोले जाने व निर्णित किये जाने का प्रावधान है। प्रस्तुत वसीयत अपंजीकृत होकर इसके आधार पर नामान्तरकरण निर्णित करने का कोई प्रावधान नही है। सक्षिप्त नामान्तरकरण कार्यवाही से इस विवादित वसीयत पर विचार नही किया जा सकता है इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधि सम्मत नही होने से अस्वीकार फरमाया जावे। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत सरगांव में उक्त नामान्तरकरण खुलवाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें अंकित किया कि जमनालाल जी के जिन्दे में गौद रहा था जिसका मैंने वसीयतनामा कराया किन्तु उनकी तबीयत खराब होने से पंजीयन नही करा सका प्रार्थी के उक्त अभिवचन से प्रार्थी अपने को जमनालाल जी का गौद पुत्र होना कहता है तथा उनका अस्वस्थ होना भी स्वीकार करता है। गौदनामा का कोई पंजीबद्व दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वसीयत पर जमनालाल जी के हस्ताक्षर नही होने व केवल अगुंठा निशानी होना वसीयत को सदेंहास्प्रद बनाता है व वसीयत फर्जी होने के स्पष्ट सकेंत करते है।

तहसीलदार सहाडा
मु0 गंगापुर

लगातार

रामदयाल काबरा

ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा वसीयत सही एवं वैद्य है अथवा फर्जी एवं अवैध है इसकी घोषणा भी सिविल न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है। उपरोक्त निर्णयो के अभाव में उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तथाकथित वसीयत फर्जी होकर वसीयत की वैद्यता बाबत कोई भी आदेश दिया जाना न्यायालय के अधिकार क्षैत्र से बाहर है सक्षम न्यायालय ही वसीयत की वैद्यता व अवैद्यता बाबत निर्णय पारित कर सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जाकर स्व0 जमनालाल जी के सभी विधिक वारिसान के नाम पर विरासत का नामान्तरकरण खोला जाकर निर्णित फरमावे। उक्त जवाब तथा प्रमाण में प्रस्तुत दस्तावेज ग्राम पंचायत सरगावं को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रति व ग्राम पंचायत में दिनाकं 08.07.2004 को प्रस्तुत पत्र की प्रति जिस पर मृतक जमनालाल जी के हस्ताक्षर है कि छायाप्रति प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली किये गये।

प्रकरण में प्रार्थी रामदयाल के बयान कलमबद्व किये गये, प्रार्थी ने अपने बयानो में उन्ही तथ्यो को दोहराया जो प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित है। जिस पर अधिवक्ता अप्रार्थी सोहनलाल द्वारा जिरह की गई जिरह के दौरान प्रार्थी ने कथन किया कि वसीयत के अलावा कोई ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया जिसमें जमनालाल जी की केवल निशानी हो एवं दस्तखत नही हो, जमनालाल जी ने वसीयत का स्टाम्प कब खरीदा मुझे याद नही है, लिखा पढी स्टाम्प पर गंगापुर में करवाई जो वकील अरविन्द जी त्रिपाठी ने कराई थी, जमनालाल जी ने सम्पूर्ण वसीयत पत्र को पढने के बाद उस पर अगुंठा निशानी की जिस पर गवाही कृष्णचन्द्र जी त्रिपाठी व शंकरलाल लखारा नि0 सरगांव ने दी थी। जिस समय वसीयत लिखवाई गई उस समय जमनालाल जी स्वस्थ थे उनके दाये हाथ में कम्पन्न होता था जिसका कोई ईलाज नही चल रहा था उक्त तथ्य वसीयत में अंकित नही किया गया वसीयत लिखने के चौथे दिन उनकी मृत्यु हो गई थी तथा यह कहना गलत है कि जमनालाल जी को मरने से एक महिना पहले से सुध–बुध नही हो व न ही मैने किसी अन्य व्यक्ति से जमनालाल जी के नाम का स्टाम्प खरीदवाकर उनकी फर्जी निशानी कराई हो। वसीयत पर अगुंठा निशानी स्व0 जमनालाल जी की ही है। उक्त वसीयत सही होने का दावा सिविल न्यायालय में नही किया है। स्व0 जमनालाल जी की सम्पत्ति हड़पने की नियत से उक्त फर्जी वसीयत तैयार नही कराई गई है। उक्त वसीयत जमनालाल जी द्वारा ही लिखवाई गई है। उक्त बयान व जिरह के कथन कलमबद्व किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा मृतक जमनालाल व सोहनलाल, हरकलाल, रामदयाल के नाम दर्ज कृषि भूमियों कि साबिक नकल जमाबन्दी, मिलान क्षैत्रफल , मृत्यु प्रमाण पत्र व विक्रय पत्र दिनाकं 08.07.1986 की छायाप्रति जिस पर जमनालाल जी के हस्ताक्षर है उक्त दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

प्रकरण में वसीयत पत्र में अंकित साक्षी कृष्णचन्द्र त्रिपाठी नि0 सरगांव व शंकरलाल लखारा नि0 सरगांव के बयान कलमबद्व किये गये जिन्होने अपने बयानो में बताया कि जमनालाल जी को हम जानते है जमना लाल जी के कोई पुत्र पुत्री नही है जमनालाल जी पत्नि की मृत्यु इनकी मृत्यु से पूर्व ही हो गई थी जमनालाल जी की मृत्यु वर्ष 2011 में हुई थी जमनालाल जी ने अपनी सम्पत्ति व जायदाद बाबत एस वसीयत लिखी जो उनके छोटे भाई रामदयाल जी के पक्ष में लिखी थी, उक्त वसीयत पर साक्षी के तौर पर मैंरे भी हस्ताक्षर है उक्त हस्ताक्षर गंगापुर में अरविदं जी वकील सा0 का आफिस में जमनालाल जी के कहने से किये थें। जिस पर अधिवक्ता अप्रार्थी सोहनलाल द्वारा जिरह की गई जिरह के दौरान कथन किया जमनालाल जी व उनकी पत्नि अलग रहते थे जो उनका निजी मकान था, जमनालाल जी पढे–लिखे व्यक्ति थें। वसीयत का स्टाम्प मैंरे सामने नही खरीदा गया लिखा पढी मेरे आने से पहले ही हो चुकी थी। वसीयत पर बतौर साक्षी मैंरे द्वारा हस्ताक्षर किये गये जो सही है। उक्त बयान व जिरह के कथन कलमबद्व किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये।

प्रकरण में वसीयत लेखक अधिवक्ता श्री अरविन्द त्रिपाठी के बयान भी कलमबद्व किये गये जिन्होने अपने बयानो में बताया कि जमनालाल जी को मैं जानता हुं। इन्होने रामदयाल जी के पक्ष में वसीयत की थी जो मैंरे द्वारा ही तैयार की गई है। यह वसीयत जमनालाल जी स्वयं ने लिखवाई थी जिस पर मेरे हस्ताक्षर है। उक्त वसीयत पर अंगुठा निशानी जमनालाल जी की है जिस पर साक्षी कृष्णचन्द्र जी व शंकरलाल जी ने मैरे आफिस में आकर हस्ताक्षर किये है जो सही है। जिस पर अधिवक्ता अप्रार्थी सोहनलाल द्वारा जिरह की गई जिरह के दौरान कथन किया कि जमनालाल जी के अन्य भाई व बहिनो को मैं नही जानता हुं। वसीयत लिखवाते समय जमनालाल जी व रामदयाल जी के अलावा इनके परिवार का कोई सदस्य मैंरे आफिस में मौजुद नही थें। उक्त वसीयत का पंजीयन कराने बाबत भी मैंने जमनालाल जी को कहां किन्तु में आवश्यक कार्य होने से बाहर चला गया फिर भी उनको कहां की किसी दिन आ जाना रजिस्ट्री करा दुगां।

लगातार

तहसीलदार ... मु0 गंगापुर

लेकिन व पुनः नही आये जिस दिन वसीयत लिखी गई उन दिन उप पंजीयक कार्यालय खुला हुआ था अवकाश का दिन नही था। वसीयत हेतु 100/–रूपये का स्टाम्प जमनालाल जी द्वारा ही खरीदा गया था। उक्त बयान व जिरह के कथन कलमबद्व किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये।

प्रकरण में अप्रार्थी सोहनलाल के बयान कलमबद्व किये गये जिन्होने अपने बयानो में बताया कि लालुराम जी के पाचं लड़के व चार बहिने है। जिसमें से रामगोपाल जी गोद चले गये व जमनालाल जी का स्वर्गवास हो गया, तथा दो बहिन नाराण बाई व कचंन बाई का स्वर्गवास हो गया अब वर्तमान में तीन भाई सोहनलाल, रामदयाल व हरकलाल तथा दो बहिने सीताबाई व कचंनबाई जिवित है। जमनालाज जी के कोई जायन्दा पुत्र–पुत्री नही है, इनकी पत्नि की मृत्यु इनसे पूर्व हो गई थी। जमनालाल जी ने किसी को गोर नही रख। वह पढे–लिखे व्यक्ति होकर किराणे की दुकान व रूपया उधार देकर ब्याज कमाते थें। वह दस्तखत करते थे अगुंठा नही लगाते थै। जमना लाल जी को कोई बिमारी नही थी। न ही उनको श्वास की बिमारी थी व नही उनके हाथ में कोई कम्पन्न था। जमनालाल जी अपने मकान में ही रहते थे। जमनालाल जी मरने के 10 दिन पहले बिमार हो गये बिमार होने से मृत्यु तक लगातार उनको कोई सुद बुद नही थी। जमनालाल जी की सम्पत्ति जिसमें कृषि भूमि भी शामिल है हम पांचो भाई–बहिनो के नाम दर्ज होनी चाहिए। जमनालाल जी ने अपने जीवनकाल में रामदयाल जी के पक्ष में कोई वसीयत नही लिखी बाद में जो वसीयत लिखी वो झुठी है। जिस पर अधिवक्ता प्रार्थी रामदयाल द्वारा जिरह की गई जिरह के दौरान कथन किया जमनालाल जी पत्नि की मृत्यु हुई उस समय जमनालाल जी का स्वास्थ्य अच्छा था, जमनालाल जी पत्नि की मृत्यु होने पर उनका चाल–चलावा उनके मकान पर ही किया गया था। जमनालाल जी उनकी पत्नि की मृत्यु के बाद भी उनके मकान में ही रहते थें जमनालाल जी के भोजन में व मैंरे भाई हरकलाल व रामदयाल भी ले जाते थें। जमनालाल जी मृत्यु के 10 दिन पूर्व उनको सुद बुद नही थी तक हम तीनो भाईयों ने मिलकर उनको ले आये व रामदयाल जी के घर पर ही रखा। मै जमनालाल जी से नियमित रोज मिलता था। जमनालाल जी मृत्यु उपरान्त समस्त कियाकम हम तीनो भाईयो ने ही मिलकर किये गये थे। हम सभी भाईयो की पैतृक सम्पत्ति का बटंवाड़ा होकर हम अलग–अलग काबिज है। जमनालाल जी सम्पत्ति पर कब्जा मैंरा भी है व रामदयाल जी का भी है। जमनालाल जी मृत्यु तक उनका ईलाज मैने व भाई रामदयाल ने नही कराया था। उक्त वसीयत फर्जी होने बाबत मैंरे द्वारा थाने में मुकदमा दर्ज नही कराया है। मृतक जमनालाल जी की सम्पत्ति रामदयाल के पक्ष में करने बाबत अन्य भाई–बहिनो को आपत्ति है या नही लेकिन मुझे आपत्ति है। रामदयाल जी व मैरे आपस में कोई विवाद नही है। उक्त बयान व जिरह के कथन कलमबद्व किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। तथा अधिवक्ता अप्रार्थी हरकलाल,कचंनबाई, सीताबाई जो प्रार्थी, अप्रार्थी व साक्षीगणो से जिरह नही करना चाहते है जिससे उक्त कार्यवाही समाप्त की गई।

प्रकरण में अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा लिखित बहस में पूर्व में प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यो को पुनः दोहराया गया व निवेदन किया कि वसीयत दिनाकं 04.12.11 को लिखी गई उस दिन कार्य दिवस बताया गया जबकि उस दिन रविवार था। अपंजीकृत वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण नही खोला जा सकता है। अनरजिस्टर्ड़ वसीयत की प्रमाणिकरण का प्रश्न नामान्तरकरण कार्यवाही में निर्णित नही हो सकता है नियमित वाद में वसीयत को साबित करना आवश्यक है। जमनालाल जी के हस्ताक्षर उक्त वसीयत पर नही है केवल निशानी है जबकि वे हस्ताक्षर करते थें। उन्होने हस्ताक्षर के स्थान पर केवल निशानी क्यो की, इसकी स्पष्ट साक्ष्य नही है। स्वस्थ हालत व स्वस्थ चित के समय वसीयत लिखवाई, कोई साक्ष्य नही है। रामदयाल व सोहनलाल के अलावा जमनालाल जी के अन्य भाई, बहिन न्यायालय में उपस्थित नही हुये व न ही अपने बयान लेखबद्व करवाये है। अतः निवेदन है कि रामदयाल जी का प्रार्थना पत्र खारिज करवाया जावे व मृतक जमनालाल जी की विरासत का नामान्तरकरण उनके भाई हरकलाल, सोहनलाल, रामदयाल व बहिन सीता व जशोदा के नाम पर खोला जाने आदेश प्रदान कराया जावे। इसके समर्थन में न्यायिक दृष्टान्तः–

1 2013 (1)D.N.J.(S.C.)Page 62 Dayanandi v/s Rukma D. Savarna & Ors.

2-2017 (2)R.R.T. Page 1355 Bhura v/s Mohan &Ors.

3-2015 (1) R.R.T. Page 151 Prem Chand Meena v/s Sundar Bai Meena

4-2009 (1) R.R.T. Page 500 Brji Sunder & Ors. v/s Kamlesh Kumar &Ors.

प्रस्तुत किये गये उक्त न्यायिक दृष्टान्त व लिखित बहस शामिल पत्रावली कि गई ।

लगातार

मैरे पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली में लिये गये बयान व प्रस्तुत बहस पर गहनता से मनन किया गया जिससे मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हुं कि प्रार्थी रामदयाल द्वारा प्रस्तुत वसीयत पत्र जो अपंजीकृत होकर स्व0 जमनालाल जी द्वारा प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित कराई गई किन्तु अप्रार्थी व साक्षीगणो के बयान व जिरह अनुसार जाहिर हुआ कि स्व0 जमनालाल जी जो शिक्षित व्यक्ति थें, उन्होने अपने जीवनकाल में समस्त दस्तावेजो पर हस्ताक्षर ही किये है। जबकि प्रस्तुत वसीयत पत्र पर स्व0 जमनालाल जी की अगुंठा निशानी लगी हुई है तथा प्रार्थी द्वारा कोई ऐसा दस्तावेज साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नही किया जिस पर स्व0 जमनालाल जी की अगुंठा निशानी लगी हो तथा अप्रार्थी द्वारा भी वर्ष 2004 के बाद का ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया जिस पर जमनालाल के हस्ताक्षर हो, वसीयत कर्ता द्वारा दिनाकं 02.02.2011 को कय किया जाना जाहिर हुआ है उक्त स्टाम्प के पुश्त भाग पर स्टाम्प क्रेता की उम्र 86 वर्ष अंकित है तथा उक्त स्टाम्प पर दिनाकं 04.12.2011 को की गई लिखा पढी में जमनालाल की उम्र 85 वर्ष बताई गई है, वसीयतकर्ता द्वारा लिखी गई वसीयत के पृष्ठ संख्या 02 पर यह अंकित किया है कि यह वसीयत पत्र उसने अपनी स्वेच्छा से सही सोच समझ कर बिना किसी दबाव, बहकावे के बिना नशे पते के सही होंश हवाश में तहरीर करवा दिया जो प्रमाण रहै उसमें यह कही भी उल्लेख नही किया िकवह पूर्व में हस्ताक्षर करता था किन्तु स्वास्थ्य खराब हो जाने व हाथ में कम्मपन्न पैदा हो जाने से वह हस्ताक्षर नही कर सकता है इसलिए उक्त वसीयत पर हस्ताक्षर नही कर अगुंठा निशानी लगाई गई है। इसके साथ ही वसीयत पत्र के पृष्ठ सख्या 01 पर मृतक जमनालाल की दो जगह पर अगुंठा निशानी अंकित है। जो भी अपने आप में संदेह उत्पन्न करता है, ऐसी परिस्थितियो में उक्त प्रस्तुत वसीयत संदेहास्प्रद प्रतीत होती है। किन्तु प्रस्तुत वसीयत की वैद्यता का निर्धारण इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार में निहित नही है। ऐसी स्थिति में उक्त वसीयत के आधार पर स्व0 जमनालाल जी की विरासत का नामान्तरकरण प्रार्थी रामदयाल के पक्ष में निर्णित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राज0 भू राजस्व (भू0अभिलेख) नियम 1957 के नियम 135(2) के अन्तर्गत अस्वीकार किया जाता है। फिर भी यदि प्रार्थी अपने भाई स्व0 जमनालाल की तथाकथित वसीयत दिनाकं 04.02.2011 के आधार पर वादग्रस्त भूमि में अपना अधिकार होना मानते है तो इस सम्बन्ध में वह सक्षम सिविल न्यायालय से उचित निर्णय प्राप्त कर अधिकार प्राप्त करने के लिये स्वतत्रं रहेगें।

निर्णय आज दिनाकं 18.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तमकील नम्बर से कम हो।

तहसीलदार सहाड़ा
मुकाम गंगापुर